कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरदोई।

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाएं :–

1– **राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना :–** पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से 10 तक विद्यालयों/मदरसों में अध्ययनरच्त छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2014–15 से शासनादेशानुसार दी गयी व्यवस्था अन्तर्गत आनलाइन भरे जाने का निर्देश प्राप्त है। इस योजना अन्तर्गत अभिभवकों की वार्षिक आय अधिकतम रु0 दो लाख निर्धारित है। साथ ही गत वर्ष की कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किया जाना आवश्यक है। छात्र–छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदनों को संस्था अपनी लागिंग से परीक्षणोपरान्त अग्रसारित करती है। तत्पश्चात् शिक्षा विभाग से अग्रसारित होने के पश्चात् जनपद स्तरीय विभाग के नोडल अधिकारी, द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से छात्र/छात्राओं का शुद्ध डाटा लाक किया जाता है तथा लाक शुद्ध डाटा को जनपद स्तरीय स्वीकृत समिति से अनुमोदनोपरान्त एन0आई0सी0 के माध्यम से डाटा शासन को प्रेषित किया जाता है। छात्र/छात्राओं का शुद्ध डाटा के सापेक्ष शासन स्तर से ई–पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्राविधान है, वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 2196 छात्र/छात्राओ हेतु रू0 61.86 लाख व्यय किया जा चुका है।

2– **राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना :–** दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2014–15 अन्तर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किये जाने का निर्देश प्राप्त है। इस योजना अन्तर्गत अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु0 दो लाख निर्धारित है। साथ ही गत वर्ष की कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किया जाना आवश्यक है। छात्र–छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदनों को संस्था अपनी लागिंग से परीक्षणोपरान्त अग्रसारित करती है। तत्पश्चात् शिक्षा विभाग से अग्रसारित होने के पश्चात् जनपद स्तरीय विभाग के नोडल अधिकारी, द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से छात्र/छात्राओं का शुद्ध डाटा लाक किया जाता है तथा लाक शुद्ध डाटा को जनपद स्तरीय स्वीकृत समिति से अनुमोदनोपरान्त एन0आई0सी0 के माध्यम से डाटा शासन को प्रेषित किया जाता है। छात्र/छात्राओं का शुद्ध डाटा के सापेक्ष शासन स्तर से ई–पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्राविधान है, वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 5090 छात्र/छात्राओ हेतु रू0 233.63 लाख व्यय किया जा चुका है।

3– **शादी अनुदान योजना :–** इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों की पुत्रियो की शादी हेतु अधिकतम वार्षिक आय रू0 46080/– तथा नगर क्षेत्र के अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 56460/– निर्धारित है। पांत्र पाये गये लाभार्थियों के अभिभावकों के खाते में रू0 20,000/– प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 611 लाभार्थियो के खाते में रू0 122.20 लाख अन्तरित किया जा चुका है।

4– **मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान :–** एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य नगर पालिका परिषद, शाहाबाद में 01 राजकीय आई0टी0आई0, 09 आंगनबाड़ी केन्द्र, 01 राजकीय बालिका इण्टर कालेज, तथा 100 बेडेड बालिका छात्रावास निर्माणाधीन है।